

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :-  
प्रकरण संख्या:-46/2024

हेमराज गुर्जर (आरएएस)  
दायर दिनांक:- 26.06.2024

जीसीएमएस नं. 2024/254

वीरसिंह पुत्र समयसिंह जाति गुर्जर निवासी खेडली गुर्जर तहसील सूरौठ जिला  
करौली राजस्थान

—प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान।

—अप्रार्थी

## प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थित:- 1. श्री मुरारीलाल करसौलिया वकील प्रार्थीगण  
2. श्री पेंरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सेवा में प्रार्थना पत्र निम्नलिखित पेश है कि आराजी खाता संख्या 146 के खसरा न० 43 रकबा 14 ऐयर, 44 रकबा 34 ऐयर, 45 रकबा 41 ऐयर, 46 रकबा 52 ऐयर, 47 रकबा 48 ऐयर, 87/848 रकबा 15 ऐयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.04 है० वाके ग्राम अटकोली तहसील सूरौठ जिला करौली राज० में स्थित है जिसमें कि प्रार्थी का पिता समय सिंह पुत्र पोला जाति गुर्जर निवासी खेडली गुर्जर 1/4 का हिस्से दार खातेदार है।

प्रार्थी के पिता की दिनांक 15.01.2001 को मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी अपने पिता का लीगल उत्तराधिकारी है।

रेवेन्यु कर्मचारियों ने उक्त खाता में प्रार्थी के पिता का नाम सहवन से समय सिंह के स्थान पर शिमले कर दिया है। जबकि प्रार्थी के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज में प्रार्थी के पिता का नाम समय सिंह पुत्र पोला है। ग्राम पंचायत खेडली गुर्जर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी के पिता जी का सही एवम वास्तविक नाम समय सिंह पुत्र पोला है। तथा राजस्व रिकॉर्ड में गलती से समयसिंह के स्थान पर शिमले दर्ज हो गया है। जिसे न्याय हित में संशोधन कराया जाना आवश्यक है।



*(Handwritten signature)*

राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता के नाम में संशोधन करने से किसी अन्य को कोई हक तलफ़ी नहीं है। जबकि यदि संशोधन नहीं किया गया तो प्रार्थी को भारी हकतलफ़ है। तथा राजस्व के कई काम प्रार्थी के रूक जायेंगे।

प्रार्थी अपने पिता के नाम में संशोधन करवाने के लिये दिनांक 23.05.2024 को तहसीलदार सूरौठ के यहा गया तथा प्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम शिमले पुत्र पोला के स्थान पर समय सिंह पोला दर्ज करवाने का निवेदन किया तो तहसीलदार सूरौठ ने माननीय अदालत में प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर एक्ट का पेश कर आदेश लाने को कहा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता के नाम शिमले पुत्र पोला के स्थान पर समयसिंह पुत्र पोला दर्ज कर संशोधन करावाये जाने के आदेश प्रदान करे।

अप्रार्थी को जारेये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ द्वारा पत्रांक 419 दिनांक 06.09.2024 को जबाब पेश किया जो निम्नानुसार है:-

1. राजस्व ग्राम अटकोली की जमाबंदी संवत 2072-75 के खाता संख्या 146 में खातेदार शिमले पुत्र पोला हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर दर्ज रिकॉर्ड है।
2. प्रार्थी के पिता का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र में समयसिंह पुत्र पोला दर्ज है। जिसके कारण प्रार्थी अपने पिता का नाम का नाम जमाबंदी में शिमले पुत्र पोला के स्थान पर समयसिंह पुत्र पोला दर्ज करवाना चाहता है।
3. प्रार्थी के पिता समयसिंह पुत्र पोला की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी स्वयं एवं प्रार्थी के परिवारजन वर्तमान में खेडली गुर्जर व अटकोली में निवास नहीं करते है। प्रार्थी वर्तमान में ग्राम नवलापुरा डांडा तहसील बयाना जिला भरतपुर में निवास करते है। प्रार्थी के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र के अलावा अन्य कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये है।
4. दावा खारिज योग्य है।

जबाब शामिल पत्रावली किया गया।




वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत् 2072-75 खाता संख्या 146, वाके ग्राम खेडली गुर्जर तहसील सूरौठ, मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रमाणित वोटर लिस्ट पेश किये।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी परोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी परोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी परोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड में वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल नकल जमाबंदी संवत् 2072-75 खाता संख्या 146, वाके ग्राम खेडली गुर्जर तहसील सूरौठ, मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रमाणित वोटर लिस्ट है। उक्त दस्तावेजी राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार सूरौठ के जबाव के परिपेक्ष्य में विवेचन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पेश किये गये दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से अपने प्रा० पत्र को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरुद्ध अप्रार्थी बाबत् आराजीयात खसरा न० 43, 44, 45, 46, 47, 87/848 वाके ग्राम अटकोली तहसील सूरौठ स्वीकार किया जाता है। शिमले पुत्र पोला के स्थान पर समयसिंह पुत्र पोला शुद्ध किया जाता है। इस संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सूरौठ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम कर्क जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/5/35 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
(हेमराज गुर्जर)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन